(134)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 85–दो/97 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–1–97 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 358/92–93/अपील.

बजरंग पुत्र गोपाल दास बैरागी
निवासी ग्राम गाडागांव
तहसील कन्नौद जिला देवास ....आवेदक

विरूद्ध

1– रामचन्द्र पुत्र हिम्मतनाथ
2– हजारीनाथ पुत्र घांसीनाथ
निवासीगण ग्राम गाडागांव
तहसील कन्नौद जिला देवास ....अनावेदकगण

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री कुंवर सिंह कुशवह, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–1–97 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, टप्पा सतवास तहसील कन्नौद द्वारा ग्राम गाडागांव का चौकीदार अन्यत्र चले जाने के कारण आवेदक को अस्थायी चौकीदार नियुक्त करते हुए विज्ञप्ति का प्रकाशन किये जाने पर अनावेदकगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक

5/अ–56/91–92 दर्ज कर कार्यवाही की जाकर दिनांक 23–4–93 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 को स्थायी चौकीदार के पद पर नियुक्त किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा पृथक–पृथक प्रथम अपीलें अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों अपीलों में दिनांक 22–7–93 को आदेश पारित कर दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया कि चौकीदार की नियुक्ति हेतु पुनः विधिवत कार्यवाही की जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष पृथक–पृथक द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गईं । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–1–97 को दोनों अपीलों में आदेश पारित कर आवेदक की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त की गई तथा अनावेदक कमांक 2 की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उपरोक्तानुसार संशोधित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अस्थायी चौकीदार के पद पर कार्य रहा था, इसलिए उसको स्थायी चौकीदार के पद पर नियुक्ति में वरीयता दिया जाना चाहिए । यह भी कहा गया कि आवेदक चौकीदार के पद पर कार्य कर रहा था, और वह स्थायी चौकीदार की नियुक्ति के संबंध में तहसील न्यायालय में उपस्थित हुआ है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष तथ्यों के विपरीत है कि आवेदक ने कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चौकीदार की नियुक्ति के लिए लघु कृषक होना कोई योग्यता नहीं है, और न ही कोटवारी नियमों के अनुसार किसी सिफारिश की आवश्यकता है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सभी उम्मीदवारों के संबंध में विस्तृत विवेचना उपरांत विधिसंगत आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 को स्थायी चौकीदार के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए निरस्त

करने में गंभीर भूल की गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है, इसलिए अपर आयुक्त के आदेश की हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण वर्ष 1997 से लम्बित है, और प्रकरण में कोटवार की नियुक्ति के संबंध में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया, अतः लगभग 20 वर्ष व्यतीत होने से निश्चित रूप से कोटवार की नियुक्ति हो चुकी होगी । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित प्रतीत होता है, जिसमें अब इतने वर्ष पश्चात हस्तक्षेप करना न्याय संगत नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–1–97 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर